(121)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1607–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–3–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 425/अपील/2013–14.

1– जुगलकिशोर पिता रामवल्लभ चांडक
2– श्रीमती किरण पति जुगलकिशोर चांडक
निवासीगण स्टेशन रोड, लालबाग बुरहानपुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती उर्मिला पति दामोदरदास कपाडिया
निवासी दालियावाडी राजपुरा बुरहानपुर .....अनावेदिका

.....

श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक अनावेदिका

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, बुरहानपुर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बुरहानपुर लालबाग रोड स्थित ग्राम लालबाग माल की कृषि भूमि सर्वे कमांक 156/8 क्षेत्रफल 0.606 हेक्टेयर उसके द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की जाकर दिनांक 29–1–2011 को सीमांकन करवाया गया था, जिसमें अनावेदिका की भूमि के उत्तर–दक्षिण दिशा में लालबाग रोड की तरफ 44.22 वर्गफीट एवं पूर्व से पश्चिम में लम्बाई में 85.80 वर्गमीटर तथा पीछे की ओर उत्तर दक्षिण चौड़ाई में 9.9 वर्गफीट पर आवेदकगण द्वारा तार फैंसिंग कर अवैध

अतिकमण किया गया है, अतः अनावेदिका को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–70/2010–11 दर्ज कर दिनांक 19–9–2013 को आदेश पारित कर आवेदकगण को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–7–2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–3–2016 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा तथाकथित सीमांकन प्रकरण कमांक 47/अ–12/2010–11 का सूक्ष्म अवलोकन नहीं किया गया है, क्योंकि उक्त सीमांकन कार्यवाही की कोई सूचना आवेदकगण को जारी नहीं हुआ था और न ही आवेदकगण की उपस्थिति में तथाकथित सीमांकन हुआ था एवं सीमांकन कार्यवाही में नियम, कानून एवं प्रकिया का उल्लंघन हुआ था। (2) अनावेदिका द्वारा तथाकथित सीमांकन के 7 माह पश्चात संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । चूंकि सीमांकन कार्यवाही नियम, कानून एवं प्रकिया का उल्लंघन हुआ था, इसलिए अपर आयुक्त को पुनः सीमांकन के आदेश दिया जाना चाहिए था ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किये बिना संक्षिप्त, अस्पष्ट, अपूर्ण आदेश पारित कर त्रुटि की गई थी, वही त्रुटि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है, क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा न्यायिक, तर्क संगत विवेचना किये संक्षिप्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है ।

(4) सीमांकन कार्यवाही में आवेदकगण को सूचना दिये बिना उनके पीठ पीछे की गई है और जिस शासकीय नक्शे के आधार पर सीमांकन की गई है, वह नक्शा ही त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि इस सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख

किया गया है कि खसरा नम्बर 156/3, 156/4, 156/5 एवं 156/6 नक्शे में दर्शाये स्थान पर काबिज नहीं होकर रोड तरफ काबिज हैं, इससे स्पष्ट है कि शासकीय नक्शे में त्रुटिपूर्ण है और तथाकथित सीमांकन की कार्यवाही मूल नक्शे अर्थात शासकीय नक्शे से नहीं की गई है, बल्कि नक्शे की फोटो कापी के आधार पर की गई है, जबकि सीमांकन चालू साल के शासकीय नक्शे के आधार पर किया जाता है ।

(5) प्रदर्श डी–1 के नक्शे में खसरा नम्बर 156/12 के उत्तर में खसरा नम्बर 156/13 तथा खसरा नम्बर 156/8 के दक्षिण में 156/7 एवं 156/2 हैं तथा अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत पंजीबद्ध विकय पत्र में खसरा नम्बर 156/12 के उत्तर में खसरा नम्बर 156/8 तथा खसरा नम्बर 156/8 के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 156/12 उल्लिखित है । इस प्रकार उक्त दोनों प्रदर्श डी–1 एवं डी–3 में अत्यन्त विरोधाभास है, जिस पर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीरता से समझने या अवलोकन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है । (6) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदिका ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे सीमांकन कार्यवाही के बारे में या उसके मालिकी की तथाकथित भूमि सर्वे कमांक 156/6 एवं 156/8 के पड़ोसी भूमिस्वामियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, इस सम्बन्ध में उसके पति को जानकारी है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण का बिना अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर आदेश पारित करने में अपने न्यायालयीन कर्तव्यों के विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(7) आवेदकगण की मालिकी कब्जे की परिवर्तित भूमि क्षेत्रफल 4250 वर्गफीट से ज्यादा अन्य कोई अतिकमित भूमि आवेदकगण के कब्जे में नहीं है । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 16–9–2013 को आदेश पारित करने के उपरांत एक अन्य आदेश दिनांक 10–10–2014 को पारित किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के कब्जे में अनावेदिका के स्वत्व की कोई भूमि नहीं है ।

(8) अनावेदिका को कभी भी सर्वे कमांक 156/8 का वास्तविक आधिपत्य विकेतागणों से प्राप्त नहीं हुआ था । सीमांकन दिनांक से काफी वर्ष पूर्व उक्त भूमि सर्वे कमांक 156/8 एवं 156/12 पर सनजीतसिंह कीर, करणजीतसिंह कीर, रमनजीतसिंह कीर एवं राजकुंवरसिंह कीर का भौतिक कब्जा चला आया है और इस

सम्बन्ध में उनके द्वारा स्थल पर जाहिर सूचना बावद् लोहे का बोर्ड लगा रखा है, किन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है ।

(9) सीमांकन करने वाले राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ने उल्लेख किया है कि मौके पर वास्तव में काबिज व्यक्ति अलग है और रिकार्ड में मालिक कोई और है, जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(10) प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप यदि पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है, तब उसके द्वारा आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए, किन्तु मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के बावजूद भी उनके द्वारा दुर्भावनापूर्वक एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तीव्रगति से कार्यवाही कर जल्दबाजी में मनमाना, अनुचित, अवैध आदेश पारित किया गया है, जो कि अनुचित कार्यवाही है ।

(11) मूल न्यायालय के समक्ष अनावेदिका ने तथाकथित सीमांकन करने वाले किसी भी राजस्व निरीक्षक, पटवारी के कथन नहीं कराये और न ही सीमांकन को प्रमाणित कराया, इसके बावजूद भी अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा सीमांकन कार्यवाही को विधिवत होना निरूपित करते हुए आलोच्य आदेश पारित किये गये हैं ।

(12) सीमांकन कार्यवाही करने वाले राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा स्थल पर सीमांकन का कोई नक्शा नहीं बनाया है और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदिका ने अपनी मनमर्जी से तथाकथित नक्शा बनाते हुए उसे आवेदन का अंग बनाते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने अथवा विकल्प में पड़ोसी कृषकों एवं आवेदकगण की उपस्थिति में पुनः सीमांकन किये जाने के आदेश दिये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 33, 1969 आर.एन. 371, 1977 आर.एन. 384 एवं 2013 आर.एन. 28 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय किया जाकर उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 29–1–2011 को कराया गया था, जिसमें अनावेदिका की भूमि के उत्तर–दक्षिण दिशा में लालबाग रोड की तरफ 44.22 वर्गफीट, पूर्व–पश्चिम दिशा में लम्बाई में 85.80 वर्गफीट एवं पीछे की ओर उत्तर–दक्षिण चौड़ाई में 9.99 वर्गफीट पर आवेदकगण द्वारा तार फैंसिंग कर अवैध अतिकमण पाया गया है ।

(2) आवेदकगण की आपत्ति पर तहसील न्यायालय द्वारा साक्ष्य ली गई एवं कथन लिये गये, जिसमें आवेदक जुगलकिशोर द्वारा प्रतिपरीक्षण में सीमांकन के सम्बन्ध में जानकारी होना स्वीकार किया गया है ।

(3) आवेदकगण की ओर से निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा न तो उपलब्ध साक्ष्य की कोई विवेचना की गई, न ही दस्तावेजों की विवेचना की गई और न ही उनके द्वारा राजस्व अधिकारियों द्वारा बनाये गये नक्शा का कोई अवलोकन किया गया, जबकि नक्शा त्रुटिपूर्ण होकर काबिज भूमिस्वामियों की वास्तविक स्थित अलग है । आवेदकगण द्वारा उठाया गया उक्त आधार उचित नहीं है, क्योंकि आवेदक जुगलकिशोर द्वारा अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि उसे सीमांकन की जानकारी थी, परन्तु उसके द्वारा उक्त सीमांकन को कोई चुनौती नहीं दी गई है ।

(4) संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन के सम्बन्ध में चुनौती देने का कानूनन कोई अधिकार आवेदकगण को नहीं है ।

(5) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिसमें कानूनन हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 2008 आर.एन. 91 (उच्च न्यायालय), 2005 आर.एन. 178, 2006 आर.एन. 415 एवं 2013 (3) एम.पी.एल.जे. के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये । 5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन होने पर आवेदक जुगल किशोर का प्रश्नाधीन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जाना पाया गया । तहसील न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही के विरूद्ध आवेदक जुगल किशोर द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं

दी गई, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश अंतिम हो गया था, अतः संहिता की धारा 250 के आवेदन में सीमांकन की वैधता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा अनावेदिका उर्गिला को प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य दिलवाये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । तहसीलदार के इस आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा अपील में स्थिर रखा गया है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई न्यायोचित आधार इस निगरानी में परिलक्षित नहीं होता है । दर्शित परिस्थितयों में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–03–2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–07–2014 तथा तहसीलदार तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–09–2013 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.